मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ. 9-10/2014/नियम/चार भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के लिए डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificate) की व्यवस्था लागू किया जाना.

विषयान्तर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक CPAO/Tech/Amdt-Sch-Book/2014-15, दिनांक 10-11-2014 द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनर्स को पेंशन भुगतान की योजना में किये गये संशोधनों को प्रदेश के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के लिए भी लागू किए जाने का राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है. इस व्यवस्था में Aadhaar based Biometric Authentication के आधार पर ऑनलाईन जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना संभव होगा. यह व्यवस्था ऐसे पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के लिए ही लागू होगी, जिनके पास आधार नंबर उपलब्ध है.

2. पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स द्वारा "बायोमेट्रिक औथेन्टिकेशन (Biometric Authentication) तथा डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जाना होगी :—

(अ) डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificate) को जनरेट (Generate) करने हेतु पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स द्वारा वेबसाईट www.jeevanpramaan.gov.in से संबंधित एप्लीकेशन एन्ड्रायड टैब/स्मार्टफोन/विन्डोज कम्प्यूटर पर डाउनलोड की जा सकेगी. पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स, फिंगर प्रिंट स्केनर/आईरिस स्केनर (Finger Print Scanner/Iris Scanner) प्राप्त कर एन्ड्रयड टैब/स्मार्टफोन/विन्डोज कम्प्यूटर के यूएसबी (USB) पर प्लग-इन (plug-in) कर स्वयं का आधार नंबर, बैंक खाता नंबर तथा मोबाईल दूरभाष नंबर दर्ज कर स्वयं को पंजीकृत कर रियल टाईम (Real Time) में "बायोमेट्रिक औथेंटिकेशन" स्वयं कर सकेंगे.

(ब) पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स वेबसाईट पर जाकर लोकेट सेन्टर (Locate Center) के माध्यम से अपने निकटतम CSC (Common Service Centre) या बैंक शाखा जहां स्केनर की सुविधा उपलब्ध हो, से भी "बायोमेट्रिक औथेंटिकेशन" कर सकेंगे.

3. डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificate) जनरेट करने की कार्यवाही सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को उनके द्वारा प्रदत्त मोबाईल दूरभाष नम्बर पर sms द्वारा ट्रांजेक्शन आईडी प्राप्त होगी. इसके आधार पर पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स कम्प्यूटर जनरेटेड डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र www.jeevanpramaan.gov.in वेबसाईट से प्राप्त कर सकेंगे.

4. यदि कोई पेंशनर/परिवार पेंशनर सिस्टम में पैरा 2 अनुसार पूर्व से ही पंजीकृत है तो ऐसी स्थिति में आगामी वर्ष के नवम्बर माह में डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificate) "बायोमेट्रिक औथेंटिकेशन" करने पर संबंधित बैंक के रेकार्ड में स्वयंमेव अपडेट हो जायेगा.

5. पेंशनर/परिवार पेंशनर संबंधित बैंक शाखा को डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificate) के संबंध में निम्नलिखित विधियों से अवगत करा सकेंगे (बैंक शाखा भी संबंधित पेंशनर/परिवार पेंशनर की डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे) :—

(अ) बैंक शाखायें www.jeevanpramaan.gov.in पर लॉगिन कर पेंशनर/परिवार पेंशनर के जीवन प्रमाण पत्र को उसके द्वारा दिए गये आधार नंबर, बैंक खाता नंबर तथा ट्रांजेक्शन आईडी के आधार पर प्राप्त कर सकेंगे.

(ब) कोर बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत बैंकों द्वारा डिजीटल लाईफ रजिस्ट्रेशन डिपॉजिटरी से स्वयंमेव संबंधित पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स के डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificate) प्राप्त कर, पेंशनर/परिवार पेंशन की जीवित होने की स्थिति को अद्यतन किया जा सकेगा.

(स) पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स संबंधित बैंक शाखा को डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificate) इमेल के माध्यम से अथवा sms के माध्यम से बैंक शाखा को भेज सकेंगे. बैंक शाखा प्राप्त लिंक के द्वारा डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificate) डाउनलोड कर सकेगी.

6. ऐसे पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स जो कि www.jeevanpramaan.gov.in में पंजीकृत है उन्हें sms के द्वारा प्रति वर्ष निर्धारित तिथि को डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्मरण कराया जायेगा.

7. उक्त नवीन व्यवस्था वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अतिरिक्त होगी. नवीन व्यवस्था को लागू किए जाने से संबंधित किसी भी प्रक्रियात्मक जानकारी हेतु वेबसाईट www. jeevanpramaan.gov.in पर जाकर अथवा संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा म. प्र. के श्री इन्द्रमणिप्रसाद तिवारी, सहायक प्रोग्रामर से मोबाईल नं. 9425841355 पर संपर्क किया जा सकता है.

8. यह सुविधा उपलब्ध हो चुकी है, अतः ऐसे पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स जिनके द्वारा अभी तक (माह नवम्बर, 2014) जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस नवीन व्यवस्था का लाभ ले सकेंगे.

9. मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 363 में संशोधन की कार्यवाही पृथक् से की जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.